

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1071/भू अ०

दिनांक : 15/9/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बरमसिया, थाना-सारठ, थाना सं०-425, अंचल-पालोजोरी जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा बासुकीनाथ से चितरा नई बी०जी० लाईन परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बरमसिया, थाना-सारठ, थाना सं०-425, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 5.235 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क्र. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	16	149	रैयती	वाड़ी-1	0.62	मनोज मरांडी वो मनोहर मरांडी पे०-स्व० दशरथ मरांडी वो मैने हांसदा वो अविधन हांसदा पे० स्व० गोविन्द हांसदा वा कासीम हांसदा पे०-स्व० परमेश्वर हांसदा। नि० ग्राम	अर्जित अंश खेसरा I, 150, 19 एवं जमुअ I पथ	मौजा जरमु ण्डी, 424	अर्जित खेसरा I संख्य I-44	अर्जित खेसरा, सं० 450, 209 रास्ता
2	16	121	रैयती	धानी-3	0.05	तथैव				
3	16	122	रैयती	धानी-3	0.15	तथैव				
4	16	148	रैयती	धानी-3	0.04	तथैव				
5	16	147	रैयती	बाड़ी-1	0.03	तथैव				
6	16	123	रैयती	धानी-3	0.24	तथैव				
7	16	124	रैयती	धानी-3	0.94	तथैव				
8	16	143	रैयती	बाड़ी-1	0.10	तथैव				
9	16	138	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव				
10	16	125	रैयती	बाड़ी-2	0.20	तथैव				
11	19	516	रैयती	बाड़ी-2	0.55	सुधीर हांसदा वो पान्डे हांसदा वो दुर्गा हांसदा वो भुटका हांसदा वो गुडू हांसदा वो जनपा हांसदा पे० स्व० ढोड़ो हांसदा वो वाहदी सोरेन पति स्व० सीरजन हांसदा वो बुदीलाल हांसदा पे० स्व० बबलु हांसदा वो फुलमनी वासकी पे० ईश्वर हांसदा नि० ग्राम				
12	21	451	रैयती	बाड़ी-1	0.03	अभय चन्द्र मंडल वो विदुर मंडल वो प्रभाकर मंडल वो दिवाकर मंडल पे० स्व० पंचानन मंडल। नि०ग्राम				

13	21	458	रैयती	बाड़ी-2	0.03	बाबुलाल मंडल पे० वकील मंडल नि० ग्राम ज०रै०
14	25	649	रैयती	धानी-3	0.20	विनोद साह पे०स्व० मथुरा साह। नि० ग्राम
15	29	491	रैयती	धानी-2	0.04	गड़िया मियां वो पानु मियां वो जमरली मियां पे० मुसाखु मियां। नि० ग्राम (ज०रै०)
16	30	146	रैयती	धानी-3	0.39	ललीता रानी चार, पति-स्व० विपद वारन चार वो नारायण चन्द्र चार वा परिमल चार वो प्रितोष चार पे० शक्ति पदो चार वो दिनबंदु चार वो तविस चन्द्र चार वो महीर चन्द्र चार पे० मुरलीधर चार वो दुलाल चार वो तुलसी चार पे० बलहरी चार वो शिवराम चार पे०स्व० भैरोहरि चार वा उत्तम कुमार चार पे० शंकर पदो चार वा आनन्द चार पे० वंशीधर चार वा बादल चन्द्र चार वा जितेन्द्र नाथ चार वो शंभु कुमार चार पे० स्व० अनील चंद्र चार वो फुलवाला दाशी पति-स्व० राखो हरि चार वो सावित्री वाला दासी पति स्व० बुधन चार वो कार्तिक चार पे० स्व० बैद्यनाथ चार वो गीता चार पति स्व० गणेश चार वो अंजना चार पति कसनाम चार नि०ग्राम
17	30	449	रैयती	धानी-3	0.30	तथैव
18	30	450	रैयती	धानी-3	0.81	तथैव
19	30	472	रैयती	धानी-3	0.12	तथैव
20	30	474	रैयती	धानी-3	0.12	तथैव
21	32	150	रैयती	धानी-2	0.27	तैलराम मोदी वल्द भगन मोदी। नि० ग्राम ज०रै०
कुल रकवा-					5.235	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60

दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

देवघर  
15/9/2020

अपर समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 1071 / भू अ०, देवघर, दिनांक 15/9/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

देवघर  
15/9/2020

अपर समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता सह-उपायुक्त,  
देवघर।